रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 1992/माघ 25, 1913
No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 1992/MAGHA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1992

का. आ. 137 (अ) :—विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 1952 के नियम 2, 4 और 8 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा

6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का आ 25 अक्तूबर, 1991 के आदेश सं का आ 724 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

क्रम सं 2 के सामने	पढ़ें —
निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर—	"श्री एस सी जैन
"श्री एच एस सिंघानिया	अध्यक्ष (कागज व गत्ता),
अध्यक्ष,	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि "
स्ट्रा प्रोडक्ट्स	

[फा सं 3(10)/91— पेपर]
सिद्धार्थ बेहुरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th Feb.' 1992

S.O. 137 (E) :—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 & 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 724 (E) dated 25th October, 1991 :—

Against S. No. 2	
for the words —	Read—
"Shri H.S. Singhania,	"Shri S.C. Jain,
President,	President (Paper & Board),
Straw Products"	Straw Products Ltd."

[File No. 3(10)/91-Paper]

SIDDHARTHA BEHURA, Jt Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delh.-110054, 1992